

कार्यालय वनसंरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी (म.प्र.)

00 आदेश 00

क्रमांक/कैम्पा/2015/245

शिवपुरी, दिनांक : 23.9.15

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/621/03/नियम/चार/भोपाल दिनांक 3-9-2003 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लोअर और बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के एवज में दुगने बिगडे वन क्षेत्र की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की 10 वर्षीय वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक की वनसंरक्षक, वनमण्डल शिवपुरी के पत्र क्रमांक/डी.एम./5365 दिनांक 14-9-2015 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

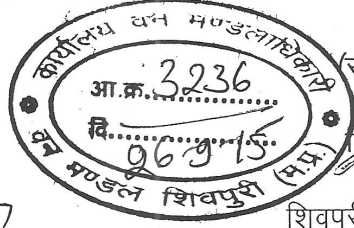
क्र.	वन परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रा है०में	वृक्षारोपण योजना की कुल राशि (रुपये में)
1	शिवपुरी	49, 50	50.00	27659700
2	सतनेवाडा	पी 912	50.00	35491500
3	सतनेवाडा	478	50.00	35491500
4	पोहरी	पी 819	50.00	35012377
5	पिछोर	321	50.00	37301237
6	पिछोर	374	50.00	36085050
7	बदरवास	135,136	50.00	34384225
8	कोलारस	129	50.00	34421350
9	कोलारस	पी 1230	50.00	34436200
10	कसैरा	पी 1035	50.00	29788690
11	कसैरा	449	50.00	33406634
		योग	550.00	373478463

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :-

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर/श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाय एवं समय-समय पर फोटोग्राफ लेकर चरपा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अथवा अन्यथा की स्थिति में आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाये।
8. कय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाये।

9. समय-समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण/मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक/त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।

10. कार्य समाप्ति उपरान्त कार्य समाप्ति प्रतिवेदन भेजें।



(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

पृ.क्र.मांक/कैम्पा/2015/4847
प्रतिलिपि

शिवपुरी, दिनांक : 23.9.15

1. महालेखाकर, म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनसंरक्षक सामान्य वनमण्डल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित प्रोजेक्टो की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तनुसार।

4. वरिष्ठ मानचित्रकार, वृत्त कार्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी